विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00- 21/14

श्रीमति सईदाबानो पति हाजी मो0 जफर, — **आवेदक**
निवासी – ग्राम एमागिर्द,
रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे,
एमार्गिद तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
पिन कोड – 450332

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग), — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.) – 450332

आदेश

(दिनांक 10.04.2015 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0273914 श्रीमति सईदाबानो पति हाजी मो. जफर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरूद्ध उपभोक्तागण की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक ने अनावेदक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/23, 24 के बाह्य विद्युतीकरण में उसने आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए कार्य को पूर्ण कराया था तथा डी.पी. चालू कराई थी । विद्युतीकरण का कार्य संपन्न होने के बाद उसने भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 जो कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/23, 24 का अंशभाग है तथा उससे 60, 70 फीट दूर है, में पावर लूम कनेक्शन प्राप्ति हेतु दिनांक 10.04.2014 को आवेदन पत्र पेश किया था, परन्तु उसे कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है ।

3. अनावेदक ने उपभोक्ता की शिकायत पर आपत्ति इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । उसने पत्र क्रमांक 17 दिनांक 10.04.2014 के द्वारा उपभोक्ता को सूचित किया था, परन्तु उक्त पत्र के संदर्भ में उपभोक्ता द्वारा विद्युतीकरण हेतु आवेदन

उसके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है । विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.30 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार व्यय वहन करने पर ही उसे कनेक्शन दिया जा सकता है । उपभोक्ता द्वारा विद्युतीकरण एवं लाईन विस्तार कार्य हेतु व्यय जमा करने एवं समस्त औपचारिकताएं विधिवत् पूर्ण करने पर उसे विद्युत संयोजन प्रदान किया जा सकता है ।

4. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम ने यह निर्णय दिया था कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 क्षेत्र के रहवासी उपभोक्ता द्वारा बाह्य विद्युतीकरण हेतु विपक्ष द्वारा चाहे गए आवश्यक दस्तावेज अविलंब प्रस्तुत करें एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करें, उसके पश्चात् उसे नियमानुसार नवीन कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाए ।

5. फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपभोक्ता ने पावर लूम कनेक्शन चाहा था, जिसके न मिलने से वह रोजी–रोटी से वंचित हैं । फोरम ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत नक्शें की उपेक्षा की है । भूमि सर्वे क्रमांक 481/23 तथा 24 से सर्वे क्रमांक 481/19 लगा हुआ है जिसके बीच 30 फीट का रास्ता है । शिकायत प्रकरण क्रमांक 22, 42/12 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2012 के अनुसर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह मत दिया था कि परिवादी की आर्थिक स्थिति तथा समस्त तकनीकी साध्यता को दृष्टिगत रखते हुए विपक्ष संशोधित प्राक्कलन इस तरह बनाएं कि भविष्य में अन्य रहवासी ऐसे प्राक्कलन से लाभांवित हो सकें, परन्तु फोरम ने इसका सही अर्थ नहीं निकाल कर प्रश्नगत आदेश पारित किया है । उपभोक्ता ने आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए डी.पी. चालू कराई थी, उसके सहयोगी आशिफ को घरेलू कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है । भूमि सर्वे क्रमांक 481/23, 24 में विद्युतीकरण कार्य हेतु सांसद महोदय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है, उपभोक्ता ने भी उसमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया था, अतः उक्त सर्वे न0 के उपभोक्ताओं को जिस तरह कनेक्शन प्रदान किया गया है उसे भी घरेलू एवं पावर लूम हेतु नवीन कनेक्शन प्रदान किया जावे ।

6. उपभोक्ता की ओर से फोरम में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 की कण्डिका 4.5.2 के अनुसार उपभोक्ता के संदर्भ में कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता ने जिस क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु आवेदन दिया है उस क्षेत्र की पहचान नगर पालिका निगम या नगर पंचायत द्वारा नहीं की गई है । कृषि भूमि के प्लाट काटकर बेच दिए गए हैं।

प्लाट बेचने वाले ने बिजली, पानी आदि की सुविधा प्रदान नहीं की थी । यदि उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन जारी करने का आदेश दिया जाता है तो बुरहानपुर शहर के आसपास के कृषि भूमि पर काटे गए प्लाट के उपभोक्ताओं द्वारा भी विद्युत कनेक्शन की मांग की जावेगी, जिससे कम्पनी को अपूरणीय क्षति होगी, अतः उपभोक्ता द्वारा 481/19 क्षेत्र का डायवर्सन/टी.एन.सी. प्रस्तुत करने एवं पूर्ण बाहय विद्युतीकरण कराने के बाद ही कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी ।

7. **विचारणीय प्रश्न यह है कि –** क्या उपभोक्ता चाहा गया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

8. आवेदक/उपभोक्ता की ओर से अपने समर्थन में दिनांक 08.12.2014 को लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । उसके तर्क का सार यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/23, 24 की 30 फीट की दूरी पर 481/19 स्थित है, अतः वह भी अवैध कालोनी की श्रेणी में आता है और विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.30 उस पर लागू होती है, उसका परिसर अवैध कालोनी का भाग है, अतः म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदान करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 की कण्डिका 4.5.2 के प्रावधानों के अनुसार वह राशि अदा करने के लिए तैयार है, अतः उक्त प्रावधान के अनुसार उसे विद्युत कनेक्शन दिया जाए ।

9. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर की नस्ती में कार्यपालन यंत्री (शहर), बुरहानपुर का पत्र क्रमांक 1745/1746 दिनांक 24.06.2014 संलग्न है, जिसमें श्रीमती सईदा बी जफर अहमद तथा अन्य दस को इस आशय की सूचना दी गई थी कि विद्युत शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के आदेशानुसार खसरा क्रमांक 481/23 एवं खसरा क्रमांक 481/24 का प्राक्कलन बनाया गया था । उक्त स्वीकृत प्राक्कलन के अतिरिक्त भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 में पावर लूम एवं घरेलू कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है । कनेक्शन प्राप्त करने हेतु वह **मण्डल/कम्पनी** के नियमानुसार कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, इसके उपरांत ही कनेक्शन प्रदान किये जा सकेंगे ।

10. फोरम के आदेश दिनांक 30.06.2014 में कार्यपालन यंत्री के पत्र दिनांक 24.06.2014 का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु यह आदेश दिया गया है कि विद्युतीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज पेश करने पर औपचारिकताएं पूर्ण कर नवीन कनेक्शन प्रदान किया जाए ।

11. इस मामले में उक्त विवरण को देखने से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की मांग यह है कि भूमि सर्वे क्रमांक 481/23 तथा 481/24 के उपभोक्ताओं के लिए जो प्राक्कलन तैयार किया गया था उसी प्राक्कलन के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 के उपभोक्ताओं को भी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए जबकि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की आपत्ति यह है कि ऐसे प्राक्कलन के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 के उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सकता है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि फोरम के आदेश को अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, परन्तु फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है कि किन प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता को नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिया जाए ।

12. भूमि सर्वे क्रमांक 481/23 तथा 481/24 के उपभोक्ताओं का प्राक्कलन तैयार कर उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया था, इसके आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 481/19 के उपभोक्ताओं को समानता के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है । इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि भूमि भूमि सर्वे क्रमांक 481/19, भूमि सर्वे क्रमांक 481/23 तथा 481/24 से लगा हुआ है । प्रत्येक विद्युत कनेक्शन पृथक–पृथक होते हैं तथा उनके पृथक–पृथक मानदण्ड होते हैं तथा उन्हीं मानदण्डों के अनुसार उन्हें विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं । एकरूपता तथा समानता के सिद्धांत के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने का निर्देश यदि प्रदान किया जाता है तो ऐसे निर्देश अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदाई हो सकते हैं ।

13. अतः इस मामले में उपभोक्ता ने जिस समानता के सिद्धांत के आधार पर विद्युत कनेक्शन चाहा है उस आधार पर उसे विद्युत कनेक्शन दिए जाने का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है । उपभोक्ता विधि की अपेक्षाओं के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है । तद्नुसार उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

14. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस किया जाए । आदेश की प्रति फोरम को तथा उभयपक्ष को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल